

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - दो

शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 2025 (फाल्गुन 9, 1946)

सभा के गर्भगृह में आने पर स्वयमेव निलंबन

आज शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 2025 को 11:28 बजे सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करते हुए निम्नलिखित माननीय सदस्य सभा गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण छत्तीसगढ़ विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 250 के उपनियम (1) के तहत स्वयमेव निलंबित हो गये :-

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. डॉ. चरण दास महंत | 15. श्री इन्द्रशाह मण्डावी |
| 2. श्रीमती अनिला भेंडिया | 16. श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी |
| 3. श्री उमेश पटेल | 17. श्री विक्रम मण्डावी |
| 4. श्री लखेश्वर बघेल | 18. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह |
| 5. श्री दलेश्वर साहू | 19. श्री ब्यास कश्यप |
| 6. श्री भोलाराम साहू | 20. श्रीमती शेषराज हरवंश |
| 7. श्री लालजीत सिंह राठिया | 21. श्रीमती चातुरी नंद |
| 8. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े | 22. श्रीमती कविता प्राण लहरे |
| 9. श्री दिलीप लहरिया | 23. श्री संदीप साहू |
| 10. श्री रामकुमार यादव | 24. श्री इन्द्र साव |
| 11. श्रीमती अंबिका मरकाम | 25. श्री जनक ध्रुव |
| 12. श्रीमती संगीता सिन्हा | 26. श्री ओंकार साहू |
| 13. श्री कुंवर सिंह निषाद | 27. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल |
| 14. श्रीमती यशोदा निलांबर वर्मा | |

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उपरोक्त माननीय सदस्यों का निलंबन 11:31 बजे समाप्त किया गया।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा